
श्रीमान् उप आवासन आयुक्त, आवासीय अभियन्ता, वृत्त / खण्ड—..... राजस्थान आवासन मण्डल,

.....



महोदय,

मेरे द्वारा जानकारी के अभाव में अवाप्त भूमि के बदले जारी विकसित भूखण्ड संख्या ...... योजना ...... का पट्टा उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत नहीं करवा पाया हूं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले जारी विकसित भूखण्ड संख्या ..... का नवीन पट्टा मेरे पक्ष में जारी करने का श्रम करें। जिसके लिए मैं मण्डल नियमानुसार देय राशि/लीजमनी जमा कराने को सहमत हूं।

भवदीय,

(	)
नाम—	
पता—	

संलग्नः–

1– मण्डल द्वारा जारी मूल पट्टा।

2- 100/- रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र।

3- पहचान पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति।

100/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर

## शपथ पत्र

- 2- उक्त भूखण्ड को मैंने आज दिन तक विक्रय नहीं किया है।
- 3— उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवाद नहीं है। इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दी गई सूचना में कोई भी सूचना झूठी/मिथ्या पायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- 4– यदि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आवंटित भूखण्ड का मण्डल को पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यनिष्ठा

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

श्रीमान् उप आवासन आयुक्त, आवासीय अभियन्ता, वृत्त / खण्ड—..... राजस्थान आवासन मण्डल,

विषयः– मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले आवंटित विकसित भूखण्ड संख्या ..... योजना ..... करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले श्री ...... को विकसित भूखण्ड संख्या .....योजना ...... क्षेत्रफल ...... वर्ग मीटर का दिनांक ...... को जारी किया गया।

श्री ..... के द्वारा जानकारी के अभाव में अवाप्त भूमि के बदले जारी विकसित भूखण्ड संख्या ..... का पट्टा उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत नहीं करवा पाये है तथा उक्त भूखण्ड का विक्रय पत्र मेरे पक्ष में दिनांक ...... निष्पादित किया गया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले जारी विकसित भूखण्ड संख्या ..... का नवीन पट्टा मेरे पक्ष में जारी करने का श्रम करें। जिसके लिए मैं मण्डल नियमानुसार देय राशि/लीजमनी जमा कराने को सहमत हूं।

भवदीय,

(	)
नाम—	
पता—	

संलग्नः-

- 1- मण्डल द्वारा जारी मूल पट्टा।
- 2- विक्रय पत्र की मूल प्रति।
- 3- 100/- रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र।
- 4- पहचान पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति।

D/DRB/Letter

100/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर

## शपथ पत्र

- 2- उक्त भूखण्ड को मैंने आज दिन तक विक्रय नहीं किया है।
- 3— उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवाद नहीं है। इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दी गई सूचना में कोई भी सूचना झूठी/मिथ्या पायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- 4— यदि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आवंटित भूखण्ड का मण्डल को पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यनिष्ठा

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

श्रीमान् उप आवासन आयुक्त, आवासीय अभियन्ता, वृत्त / खण्ड–..... राजस्थान आवासन मण्डल,

.....

विषयः– मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले आवंटित विकसित भूखण्ड संख्या ..... योजना ..... करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले श्री ...... को विकसित भूखण्ड संख्या .....योजना ...... क्षेत्रफल ...... वर्ग मीटर का दिनांक ..... को जारी किया गया।

श्री ..... के द्वारा जानकारी के अभाव में अवाप्त भूमि के बदले जारी विकसित भूखण्ड संख्या ..... योजना ..... योजना का पट्टा उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत नहीं करवा पाये है तथा उनकी मृत्यु दिनांक ...... को हो चुकी है, जिसके क्रम में वारीसान होने का प्रमाण संलग्न कर रहे हैं/रहा हूं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले जारी विकसित भूखण्ड संख्या ..... का नवीन पट्टा मेरे/हमारे पक्ष में जारी करने का श्रम करें। जिसके लिए मैं/हम मण्डल नियमानुसार देय राशि/लीजमनी जमा कराने को सहमत हूं।

भवदीय,

(	)
नाम—	
पता—	

संलग्नः–

- 1- मण्डल द्वारा जारी मूल पट्टा।
- 2— वारीसान होने का प्रमाण।
- 3- 100/- रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र।
- 4- पहचान पत्र की स्व सत्यापित छायां प्रति।
- 5- मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल अथवा स्व सत्यापित छाया प्रति।

D/DRB/Letter

100/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर

## शपथ पत्र

2- उक्त भुखण्ड को मैंने आज दिन तक विक्रय नहीं किया है।

- 3— उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवाद नहीं है। इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दी गई सूचना में कोई भी सूचना झूठी/मिथ्या पायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- 4— यदि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आवंटित भूखण्ड का मण्डल को पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

## सत्यनिष्ठा

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता